It is further certified that – Minutes Of Meeting of Construction of Maindoli-Parinda-Bountha Motor Road up to Dariyakhal (Length 4.00Km.) regarding FRA is as following:

S.No.		Poment
(a)	The Complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 1.800 hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Fores Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	are no habitants beleasing to as there
		Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचार्यतन्तिक्ति नेगी सदस्य पौड़ी जिला पंचायत—जयहरी वि॰ ख॰ जयहरीखाल (पौड़ी)

समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल

গুৱাল কাবাৰ **ব্যৱহা**ৰ্য বিচী বছৰাত

विश्वस्था बिनयन्ता बाम्बीय सण्ड लोठ नि हि बेम्बडीय (चन्द्र शेखर भट्ट) जिलाधिकारी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी

### प्रारूप 30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekhar Bhatt I.A.S deputy commissioner, Garhwal on dated—16 2-15 at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest area measuring 1.800 hect for the construction of Maindoli-Parinda-Bountha Motor Road up to Dariyakhal forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Lansdowne sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Paun

Dated: 16: 2-15

16.2-15

(Chandra Shekhar Bhatt)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

(38)

दिनांक १६-२-१८ को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम—2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित रही :-

सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट जिलाधिकारी,पौड़ी गढ़वाल अध्यक्ष।

श्री नितीश मणि त्रिपाठी प्रभागीय वनाधिकारी,लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार सदस्य।

3. श्री रतन सिंह रावल, जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य

4. श्रीमती त्नीत्नादेवी जिला पंचायत सदस्य जयहरी विशव मेहरीरकान सदस्य।

बताया गया कि (1) मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक (2) पालकोट—बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। जक्त मार्गो हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है। मार्गो का विवरण निम्नवत है :—

- 1. मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक :— इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व स्वीकृत मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से आरम्भ होकर लैन्सडौन—डेरियाखाल—रिखणीखाल मोटर मार्ग के किमी० 7.00 एच०पी०बैण्ड पर समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 है,परन्तु मोटर मार्ग केवल 3.00किमी० लम्बाई में ही मुख्य सड़क से जुड़ रहा है। इस मार्ग के 1.00मी० लम्बाई में ग्राम बौठा की नाप भूमि (कास्तकारी भूमि) तत्पश्चात 2.00 किमी० लम्बाई में आरिक्षत वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति,अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग निर्माण में ग्राम बौठा की जनसंख्या 215 सिहत अन्य क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित होगी, प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त उक्त गांवों को जोड़ने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।
- (2) पालकोट—बरस्वार मोटर मार्ग:— इस मोटर मार्ग का निर्माण फतेहपुर—लैन्सडौन मोटर मार्ग के किमी० 16 स्थान पालकोट से आरम्भ होकर ग्राम बरस्वार की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00किमी० है। इस मोटर मार्ग से ग्राम गोयूं पालकोट एवं ग्राम बरस्वार की सिविल मूमि 0.870किमी० में, 0.470किमी० में आरक्षित वन भूमि तथा 2.660किमी० में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। मार्ग में सिविल भूमि का क्षेत्रफल 0.783हे०, आरक्षित वन भूमि का 0.423हे० कुल 1.206हे०

2



हस्तान्तरण हुंत प्रस्तावित किया गया है। मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर जनजाति,अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है। उक्त मार्ग निर्माण से ग्राम पालकोट,गोयूं एवं बरस्वार एवं जडियाना, ग्वारीगांव की कुल जनसंख्या 922 लाभान्वित होगी। इन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।

## निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक आरक्षित वन भूमि 1.800हे0 (2) पालकोट—बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि,सिविल भूमि एवं वन पंचायती भूमि कमशः 0.423 हे0, एवं 0.483हे0 लो०नि०नि० को उप खण्डीय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुऐ बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट)आई०ए०एस० जिलाधिकारी, गढ़वाल।

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,प्रा0खण्ड,लो०नि०वि०,लैन्सडौन

पत्रांक 263 / 21सी0

the state of the s

दिनांक 21-2-2015

प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी आयुग्ता, प्राठखण्ड,लॉ०नि०वि०, लैन्सडौन गढ़वाल।

Annexure-1

#### प्रारुप-30

#### FORM-1

(for liner projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

10... 2797/26-30 3 50 (210) 14-15

Dated 29/04/15

#### To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.800 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public work Department for Maindoli-Parinda-Bauntha Motor Road up to Deriyakhal in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Bauntha village(s) in Lansdowne Tehsil.

It is further certified that:

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

(Chandra Shekhar Bhatt) District Collector, Garhad.

D/PWD 5-9-15/SK-WARD/AMINOn Line/Mandoli-Paraska-bautha doc (Page-34)

Annexure-1

#### प्रारुप-30

#### FORM-1

(for liner projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No... 278 42110 311810 (2104310) 2014-15

Dated 09-01-15

#### To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.800 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public work Department for Maindoli-Parinda-Bauntha Motor Road up to Deriyakhal in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Bauntha village(s) in Lansdowne Tehsil.

It is further certified that:

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl., As above

(Chandra Shekhar Bhatt) District Collector, Garhwal.

गढ़वाल(पीड़ी)

## प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु 1.800हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी **लैन्सडौन** अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

## प्रमाण पत्र

## उपखण्ड स्तरीय समिति लैन्सडौन

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु (1.800हे0 आरक्षित वन भूमि.....हे0सिविल एवं सोयम वन भूमि .....हे0वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.800हे0आरिष्तित वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडौन) की दिनांक 27:01: 2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री भारती उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार/है।

1. श्री निम्नानुसार है।

2. श्री निम्नानुसार है।

3. श्री नामकाश्री जिल्हा जिल्हा जपजिलाधिकारी जिल्हा जम्मिकारी सदस्य अध्यक्ष जिल्हा जम्मिकारी सदस्य मिका जिल्हा जम्मिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी पेज-2

पिजन जन्म जिल्हा अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी जम्मिकार्य अधिकारी अधिकार

कोटादाल-10

जपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौडी गढ़वाल में मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक हेतु 1.800हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800हे0वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील **लैन्सडौ**न जनपद **पौड़ी गढ़वाल।** 

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील लैन्सडौन जनपद पौड़ी गढ़वाल।